

16

अनवान

जगदीश सिंह कपलाल धाकड़ पगोरे
निवासी शाही कठबेड़ा

श्रीवा लाल सिंह देवीलाल धाकड़ पगोरे
निवासी शाही कठबेड़ा

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बकाया पत्थरगढी करने

न्यायालय में अदिवक्ता श्री C.L. धाकड़ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा शाही पटवार हल्का शाही की आराजी संख्या 675 कुल कीता 01 कुल रकबा 0.9070 है। कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जानें योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा शाही पटवार हल्का शाही की आराजी संख्या 675 कुल कीता 01 कुल रकबा 0.9070 है।

भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता (4)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/ 294
प्रार्थना पत्र संख्या 74/25 य अनवान जगदीश सिंह कपलाल धाकड़ पगोरे प्रार्थना पत्र अंश 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।
दिनांक :- 14.5.25

उपखण्ड अधिकारी, वेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, वेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)